

Form-III  
फर्द अहकाम

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

श्री अर्जुन पिता मोगजी जाति भील  
निवासी जौलाना तहसील अरथूना जिला  
बांसवाड़ा

बनाम

श्री नाथु पिता देवेंग जाति भील  
निवासी जौलाना तहसील अरथूना  
जिला बांसवाड़ा

किस्म मुकदमा:- अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

प्रकरण संख्या: 35/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
20.5.2024	<p>पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री अर्जुन पिता मोगजी जाति भील निवासी जौलाना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रतिवादी श्री नाथु पिता देवेंग जाति भील निवासी जौलाना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.6.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी गढ़ी</p>	
13.6.24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी जी ओर से श्री जितमल कुमार अभिभाषक डा अज्ञाननाम पेश हुआ। पत्रावली करते अभाव दिनांक 18.7.24 को पेश हो। <i>[Signature]</i></p>	<p><i>Not present</i> <i>[Signature]</i></p>
18.7.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अज्ञाननाम उपस्थित। वादी अभिभाषक द्वारा उक्त में <i>Not present</i> अज्ञाननाम को अपने मुकदमा इलाका में पेश करने का उक्त में इसी स्टेज पर कार्यवाही हो चुकी जाती है। पत्रावली केसल शुमार होकर आद दायरनाम दायर हो। <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा</p>	

